आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

अपील संख्या 52/2016 धारा 225 आर.टी.एक्ट कालूराम आदि बनाम इन्द्राज आदि

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
16.02.18	वकील अपीलांट व रेस्पों. सं. 1 के वकील उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 26.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थी/रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.06.2014 को वाद के निर्णय तक पुष्ट किया गया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी वकील ने पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.06.2014 को पुष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं की थी। उसी के आधार पर अधी. न्यायालय ने वाद के निर्णय तक पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को पुष्ट किया है। ऐसा आदेश जो अप्रार्थी की सहमति से पारित किया गया है उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का कोई आधार अपील में अंकित नहीं किया। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो। राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)	